# ग्रामीण विकास विभाग
# झारखण्ड, रॉची
# "इच्छा की अभिव्यक्ति"

**संख्याः— 943** **दिनांकः— 17.07.2018**

## झारखण्ड राज्य में राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुर्गी, बकरी सूकर एवं बत्तख पालन हेतु चूजा एवं पशुओं के आपूर्ति के लिए गैर सरकारी संस्थाओं/एजेंन्सियों को सूचीबद्ध करने हेतु "इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

राज्य में मुर्गी, बत्तख, बकरी एवं सूकर पालन के माध्यम से ग्रामीण परिवार के आयवर्द्धन हेतु झाारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (ग्रामीण विकास विभाग) के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा 2017—18 से कार्यक्रम संचालित है। उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत चूजा एवं पशुओं की आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से राज्य के अनुभवी गैर—सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों से आवेदन आपेक्षित है।

**कार्यक्षेत्र** — राज्य के सभी 24 जिले ।

1. **उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल**—चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़।
2. **दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल** — रॉची, लोहरदगा गुमला, सिमडेगा, खूँटी।
3. **पलामू प्रमण्डल** — पलामू, गढ़वा, लातेहार।
4. **कोल्हान प्रमण्डल** — प. सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला— खरसॉवां।
5. **संथाल परगना प्रमण्डल** — दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें।

**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी**
**झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी**
**तृतीय तल्ला, शांतिदीप टावर, होटल महाराजा के सामने**
**रेडियम रोड, रॉची—834001**

"इच्छा की अभिव्यक्ति" प्रपत्र का मूल्य 1000/—रूपये (non- refundable) जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट निर्गत होना चाहिऐ। बैंक ड्राफ्ट झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी के पदनाम से रॉची में भुगतेय, देय होगा।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.jslps.org से डाउनलोड किया जा सकता है।

**पात्रता मापदंड —**

1. आवेदक गैर सरकारी संस्था/एजेंन्सी, को कम से कम पिछले तीन वर्षो का कार्य का अनुभव हो तथा संबंधित विभाग में कम से कम तीन वर्षो से पंजीकृत हो।
2. स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्था/एजेंन्सी को तीन वर्षो से कार्यानुभव एवं चूजा एवं पशु आपूर्ति से संबंधित आधारभूत संरचना उपलब्ध होना चाहिए।

3. आवेदक संस्था/एजेंन्सी द्वारा आपूर्त्ति किये जाने वाले चूजों एवं पशुओं का Strain एवं प्राप्ति के स्रोत का खुलासा करना अनिवार्य होगा ।
4. संस्था/एजेंन्सी के पिछले तीन वर्षो का औसतन/प्रतिवर्ष 5.00 लाख या अधिक का कारोबार होना चाहिए।
5. चयनित संस्था/ एजेंन्सी द्वारा 10,000/—रूपये की ब्याज रहित प्रतिभूति राशि (Security Money) के रूप में जे. एस. एल. पी. एस. झारखण्ड, रॉची के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट देना होगा, जो कार्य पूर्ण होने के उपरांत वापस किया जायेगा।
6. संस्था/एजेंन्सी को इस आशय का स्व—घोषणा पत्र देना होगा कि संस्था/एजेंन्सी के सदस्यों एवं पदाअधिकारियों के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला/नाम काली सूची में दर्ज नहीं है एवं उसके द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी सही है।
7. संस्था/एजेंन्सी द्वारा विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी रॉची को बिना कारण बताये "इच्छा की अभिव्यक्ति" को रद्द करने का अधिकार होगा।
9. आवेदक संस्था/एजेंन्सी के द्वारा समर्पित किये जाने वाला इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव स्पाइरल बाईंडिंग एवं पृष्ठांकन (पेजिंग) किया हुआ होना चाहिए अन्यथा वह स्वीकार्य नहीं होगा। इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव, जिन जिलों में आपूर्ति की इच्छा हो तदनुसार प्रमण्डलवार प्रस्ताव दें।
10. "इच्छा की अभिव्यक्ति" में संस्था/एजेंन्सी द्वारा दिये गये संस्था/एजेंन्सी के संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यानुभव एवं अन्य अभिलेखों की जॉच प्राधिकृत समिति द्वारा अंकों के आधार पर किया जायेगा।
11. अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा :—

    क) संगठन में पशुपालन विशेषज्ञों के रहने पर 10 अंक,

    ख) विगत तीन वर्षो का औसत/प्रतिवर्ष 5.00 लाख या अधिक का कारोबार रहने पर प्रत्येक वर्ष 15 अंक के आधार पर अधिकतम 45 अंक (On the basis of Audited Balance Sheet for the year 2016-17, 2015-16, 2014-15,),

    ग) राज्य सरकारों के साथ मुर्गी, बत्तख, बकरी एवं सूकर विकास के कार्य का कार्यानुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष हेतु पर 15 अंक, अधिकतम 45 अंक।

    **कुल — पूर्णांक 100 अंक।**

    "इच्छा की अभिव्यक्ति" की सभी दस्तावेज के मूल्यांकन में न्यूनतम — 60 (साठ) प्राप्त करने वाले संस्था/एजेंन्सी को सूचीबद्ध किया जाएगा।
12. "इच्छा की अभिव्यक्ति" की सभी दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफा में भरकर

    मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
    झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी
    तृतीय तल्ला, शांतिदीप टावर, होटल महाराजा के सामने
    रेडियम रोड, रॉची—834001

    को संबोधित प्रस्ताव डाक/हाथों—हाथ से दिनांक 06.08.2018 को 03:30 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा।

    विलंब से "इच्छा की अभिव्यक्ति" प्राप्त होने की स्थिति में उक्त प्रस्ताव अमान्य होगा। लिफाफे के उपर आवेदक का नाम "इच्छा की अभिव्यक्ति" का नंबर एवं खोलने की तिथि

अवश्य दर्ज होनी चाहिए। लिफाफे में "इच्छा की अभिव्यक्ति" प्रपत्र मूल्य 1000–रूपये का बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें, बैंक ड्राफ्ट के बिना प्रस्ताव अमान्य होगा।

13. इस चयन प्रक्रिया को बिना कारण बताये किसी समय आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी का होगा।

**कार्य का प्रारूप–**

1.1 इस योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्था/एजेंन्सी को 28 दिवसीय 50 लो इनपुट लयर बर्ड/इकाई/झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर से सम्बंधित जिला के लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराना होगा।

1.2 योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्था/ एजेंसी को 15 दिवसीय 15 लो इनपुट बत्तख चूजा/ ईकाई/ /झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर से संबंधित जिला के लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराना है।

1.3 महिला स्वावलंबन योजना अन्तर्गत (4 मादा एवं 1 नर) बकरी यूनिट /झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर से निम्नांकित अहर्ता के अनुसार लाभुकों को घर तक उपलब्ध कराना है।

- ब्लैक बंगाल नस्ल की 8–12 माह, 1–2 जोड़ा permanent teeth 10–12 किलो वजन हो ।

1.4 योजनान्तर्गत उन्नत नस्ल के 6 सूकर/ईकाई/लाभुक (2 नर एवं 4 मादा) जो 2–3 माह एवं वजन 12–15 किलो हो /झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित दर से लाभुकों को उनक घर तक उपलब्ध कराना है।

1.5 सभी सम्बंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जे.एस.एल.पी.एस अपने जिला अन्तर्गत चयनित लाभुकों की सूची उनका पता एवं सम्पर्क दूरभाष संख्या के साथ आपूर्त्ति करने वाले संस्था/एजेंन्सी को उपलब्ध करायेंगे।

1.6 आपूर्त्तिकर्त्ता संस्था/एजेंन्सी चूजों एवं पशुओं का मूल्य लाभुक सखी मण्डल/ग्राम संगठन से प्राप्त करेंगे ।

**वैद्यता अवधि–**

उक्त कार्य हेतु संस्था का इम्पेनेलमेंन्ट एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक के लिए मान्य होगा।

**विवाद समाधान–**

किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड, रॉची का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

**न्यायालय के क्षेत्राधिकार–**

किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद अथवा दावे का निपटारा रॉची सिविल न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होगा।

ह०/-

**(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी)**

# प्रपत्र
## (प्रतिष्ठान के लेटर हेड पर)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी
झारखण्ड रॉची।

महाशय,

(गैर सरकारी संस्था/ एजेंन्सी का नाम) ................................... अपने पूर्ण विवरण देते हुए "मुर्गी, बत्तख, बकरी एवं सूकर पालन हेतु राज्य के सभी जिलों में आपूर्ति हेतु सूचीबद्ध के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

1. आवेदनकर्त्ता (गैर सरकारी संस्था/एजेंन्सी) का नाम एवं पूर्ण पता :–
2. पिता का नाम :–
3. निबंधन संख्या :–
4. जिला का नाम जिसके लिए संस्था/ एजेंन्सी सुचीबद्ध होना चाहते हैं:–
5. आवेदक का विगत तीन वर्षों के कार्य में अनुभवी संबंधी विस्तृत व्यौरा :–
   (संबंधी इस्तावेज संलग्न करें)
6. विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न :–
7. आवेदक गैर सरकारी संस्था/ एजेंन्सी का आपराधिक मामला/ काली सूची नही होने संबंधी स्व – घोषणापत्र । (संबंधी दस्तावेज संलग्न करें):–
8. आवेदक गैर सरकारी संस्था/एजेंन्सी का उसके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है संबंधी घोषणापत्र । (संबंधी दस्तावेज संलग्न करें):–
9. आवेदक गैर सरकारी संस्था/ एजेंन्सी का पूर्ण प्रोफाइल :–
10. गैर सरकारी संस्था/ एजेंन्सी का विगत तीन वर्षो का टर्नओवर :–
    (On the basis of Audited Balance Sheet for the year 2016-17, 2015-16, 2014-15)
11. आपूर्त्ति किये जाने वाले चूजे एवं पशुओं का Strain एवं प्राप्ति (संस्थान) का नाम:–

आवेदक का हस्ताक्षर